



शासकीय महाविद्यालय, सिलफिली, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Government College, Silphili, Dist. Surajpur (C.G.)

NAAC Accredited Grade- "B" (CGPA - 2.41)

Website- govtcollegesilphili.ac.in

Email- govt.collegesilphili@gmail.com

क्रमांक- 142/अ. व्या./2025

सिलफिली, दिनांक- 28/07/2025

अतिथि व्याख्याता हेतु संक्षिप्त विज्ञापन,

शासकीय महाविद्यालय, सिलफिली, जिला-सूरजपुर में विषय राजनीति शास्त्र- 01 एवं रसायन शास्त्र- 01 सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 08/08/2025 को सायं 05:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोट:- विस्तृत विज्ञापन संस्था के नोटिस बोर्ड, एवं महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। जिससे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


Principal

शासकीय महाविद्यालय सिलफिली
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

सिलफिली, दिनांक 28/07/2025

पृ.क्रमांक. 143 अतिव्या0/2025

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ।
2. संचालक छत्तीसगढ़ जनसंपर्क संचालनालय, नगर निगम भवन रोड वार्ड नं. 16 जनता कालोनी रायपुर।
3. अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय शासकीय पी0 जी0 महाविद्यालय अम्बिकापुर को सूचनार्थ।
4. प्राचार्य, रेवती रमण मिश्र अग्रणी महाविद्यालय सूरजपुर।
5. जिला जनसंपर्क अधिकारी सूरजपुर को इस निवेदन के साथ कि इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
6. संपादक दैनिक समाचार पत्र को इस निवेदन के साथ कि इसे अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में, 'समाचार के रूप में' प्रकाशित करने का कष्ट करें।


Principal

शासकीय महाविद्यालय सिलफिली
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)



शासकीय महाविद्यालय, सिलफिली, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)
Government College, Silphili, Dist. Surajpur (C.G.)
NAAC Accredited Grade- "B" (CGPA – 2.41)

Website- govtcollegesilphili.ac.in

Email- govt.collegesilphili@gmail.com

क्रमांक- /अ.व्या. /2025

सिलफिली, दिनांक- 28/07/2025

// अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक -574/126/आउशि/ राज. स्था./2024 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 06/07/2024, क्र. 289/01/आउशि/राज.स्था./2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23/07/2025 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा मंत्रालय का पत्र क्रमांक 77/नि.स./स./उ.स./2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 12/07/2024 के अनुसार शासकीय महाविद्यालय सिलफिली जिला- सूरजपुर छ. ग. में विषय:- रसायन शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता/ अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 08/08/2025 को साय 5:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता:-

1. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिए स्नातक स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमा:- अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

विषय/पदों का विवरण-

क्र.	विषय	रिक्त पद एवं संख्या				
		प्राध्यापक	सह-प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक	ग्रंथपाल	क्रीडाधिकारी
01	रसायन शास्त्र	-	-	01	-	-
02	राजनीति शास्त्र	-	-	01	-	-

टीप:- संबंधित विषयो में नवीन नियुक्ति/नियमित पद स्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भरे जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्तें:-

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट/ एमफिल/पी-एचडी का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. दिनांक 08/08/2025 को सायं 5 बजे तक डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गए आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाइन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में ऑनलाइन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभावित होगा।
3. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों के पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 11/08/2025 को समय 5:30 बजे महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा।
5. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 14/08/2025 तक होगी।
6. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 18/08/2025 को किया जावेगा। जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाइट पर सूचना पटल में किया जा सकता है।
7. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्ध-शासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त नहीं की गई है।
8. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा-

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए			
01	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	400/-	300/-
02	चार कालखण्डों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/- (41600/- प्रतिमाह अधिकतम)	1200/- (30000/- प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए			
03	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	500/-	350/-
04	चार कालखण्डों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/- (50000/- प्रतिमाह अधिकतम)	1400/- (35000/- प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता विश्वविद्यालय/प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय सिलफिली एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखें।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जाएगा और वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलायेंगे।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जाएगी।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्र संघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नेक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनके अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायत प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।


प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय सिलफिली
जिला- सूरजपुर (छ. ग.)